बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

संख्या–15/आरोप–ट्रैप (बेगूसराय) 02–104/2025– / (15)/रा0, पटना–15, दिनांक–...........

श्री राजीव कुमार, अंचल अधिकारी, डंडारी, बेगूसराय के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं0–76/2025 दिनांक–08.09.2025 के क्रम में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा दिनांक–09.09.2025 को 2,00,000/–(दो लाख) रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरास्त में केन्द्रीय कारा, भागलपुर भेजने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9 की कंडिका–1 की उप कंडिका 'क' एवं 'ग' के तहत विभागीय संकल्प संख्या–1803(15), दिनांक–05.10.2025 द्वारा श्री कुमार को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की तिथि–09.09.2025 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. श्री कुमार द्वारा जमानत पर न्यायिक हिरासत से रिहा होकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना में दिनांक–26.11.2025 को योगदान समर्पित किया गया।

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9 (3) (i) के तहत श्री कुमार का योगदान दिनांक–26.11.2025 से स्वीकृत करते हुए उक्त तिथि से ही निलंबन मुक्त किया जाता है।

4. चूँकि यह मामला रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने से सम्बन्धित है, जो घोर कदाचार की श्रेणी में आता है, उक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के प्रतिकूल है।

5. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम–9 की कंडिका–1 के उप कंडिका (क), (ग) एवं कंडिका–3 की उप कंडिका–(ii) में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री राजीव कुमार को आदेश निर्गत की तिथि से **पुनः निलम्बित** किया जाता है। निलम्बन अवधि में श्री कुमार को नियमानुसार जीवन–निर्वाह भत्ता देय होगा।

6. निलम्बन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय–**आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ** निर्धारित किया जाता है, जहाँ वें नियमित रूप से उपस्थिति दर्ज करेंगे। उपस्थिति दर्ज करने के आलोक में उन्हें जीवन–निर्वाह भत्ता नियमानुसार दिया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Suspension\Rajeev kumar_CO (Dandari_Begusarai)_Trap_ Re Suspension.doc

ज्ञापांक—15/आरोप—ट्रैप (बेगूसराय) 02—104/2025—................................(15)/रा0, पटना—15, दिनांक—

निबंधित

प्रतिलिपि :— पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को उनके पत्रांक—1494/अप0शा0, दिनांक— 15.09.2025 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—15/आरोप—ट्रैप (बेगूसराय) 02—104/2025—................................(15)/रा0, पटना—15, दिनांक—

ई—मेल/
निबंधित

प्रतिलिपि :— समाहर्त्ता, बेगूसराय/आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/जिला कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय एवं पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. समाहर्त्ता, बेगूसराय से पुनः अनुरोध है कि श्री राजीव कुमार के विरूद्ध विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर (साक्ष्य सहित) विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

ह0/—
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—15/आरोप—ट्रैप (बेगूसराय) 02—104/2025—................................(15)/रा0, पटना—15, दिनांक—

निबंधित

प्रतिलिपि :— श्री राजीव कुमार, तत्कालीन अंचल अधिकारी, डंडारी, बेगूसराय सम्प्रति निलंबित (पता—**पिता—श्री शनि कुमार, मोहल्ला—बारी टोला, ग्राम+पो0+थाना—बक्सर, जिला—बक्सर)** को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—
(संजय कुमार सिंह),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक—15/आरोप—ट्रैप (बेगूसराय) 02—104/2025—...446......(15)/रा0, पटना—15, दिनांक— 30/03/26

प्रतिलिपि :—माननीय उपमुख्यमंत्री—सह—विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना **(मूल प्रति में)**/प्रधान सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, कनीय प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा—3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

30/3/26
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के उप सचिव।

D:\2026_jiten\Suspension\Rajeev kumar_CO (Dandari_Begusarai)_Trap_ Re Suspension.doc